

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान लांगच

दिनांक :- 02/06/2023

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लांगच व
भू-अभिलेख निरीक्षक सिरपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लांगच तहसील कपासन जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 172
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराबन्द
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>लांगच</u>	<u>172</u>	<u>कमला पति दामोदर डोंगी</u>	<u>रुमलोदेवी पति धनराज डोंगी</u>

क्रमांक / 124
02/06/2023

- प्रतिलिपी :-
1. तहसीलदार, लांगच को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराबन्द शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावारी।
 2. प्रार्थी श्री कमला पति दामोदर डोंगी को सूचनाश।
 3. रक्षित भन्नावली।

[Signature]
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

[Signature]
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़